(70)

विलेख पत्र (stamped text partly obscured by court fee stamps)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012 — R. 4040 – II/12

1 महेन्द्र पिता अमृत पटेल, उम्र 29वर्ष, पेशा–काश्तकारी, निवासी–ग्राम बोदा सरकिल, सिमरिया, तहसील पवाई, जिला पन्ना (म.प्र.)

2 अमृतलाल पिता मुरलीधर पटेल, उम्र–55 वर्ष, पेशा–कृषि, निवासी–ग्राम बोदा, तहसील पावई, जिला पन्ना (म.प्र.)

——आवेदकगण

Presented by Shri R.D. Sharma Advocate Gwalior 26-11-12

श्री .... को द्वारा आज दि. .... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1 जमुना पिता संतकुमार पटेल, उम्र 30 वर्ष,

2 रुकमन बाई पिता साध कुर्मी, उम्र 60 वर्ष, निवासीगण–ग्राम बोदा, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.)

3 सचिव ग्राम पंचायत बोदा जनपद पंचायत पवई, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) — अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27/09/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

26-11-12

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि, आवेदकगण ने विवादित भूमि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14/07/1997 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं तदनुसार प्रस्ताव क्रमांक 24 द्वारा दिनांक 08/08/1997 द्वारा दिनांक 02/10/1997 को आवेदकगण के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया।

rd-1com-3

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4040-दो/2012 जिला - पन्ना **महेन्द्र विरूद्ध जमुना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018 27.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-11-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

27.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य